

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 85/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रूकमण पत्नी किशन कालबेलिया,
2. अमरी पत्नी रामा कालबेलिया,
3. चान्दी पत्नी जानू कालबेलिया,
4. भैरूलाल पिता रतनलाल कालबेलिया,

सर्व निवासी लखमनियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सीता पत्नी माना कालबेलिया,
2. मु0 शान्ति पिता केला कालबेलिया,
सर्व निवासी लखमनियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. सुरमा पत्नी सोहन कालबेलिया निवासी श्रीरामनगर,
4. कालु पिता उदा कालबेलिया,
5. मु0 गौरी पत्नी हरलाल कालबेलिया,
सर्व निवासी लखमनियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 14/5/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लखमनियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 893 रकबा 0.12 हे0, 898 रकबा 0.92 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 250 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लखमनियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 893 रकबा 0.12 हे0, 898 रकबा 0.92 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर जिला भीलवाड़ा

// 02 //

प्रकरण संख्या :- 85/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14 / 5 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0एल0शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (सी0एल0शर्मा)

